**भारत सरकार**
**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय**
**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग**

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 3131**
**दिनांक 13 दिसंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर**

**स्वास्थ्य पर निज व्यय में कमी**

**†3131. श्री विष्णु दयाल राम:**

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में सामान्य व्यक्ति द्वारा स्वास्थ्य पर अपनी ओर से किए जाने वाले निज व्यय में कमी आ रही है;
(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वास्थ्य पर होने वाले व्यय का वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है; और
(ग) सरकार द्वारा आगामी वर्षों में इस व्यय को और कम करने के लिए क्या पहल की गई है/की जा रही है?

**उत्तर**
**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)**

(क) से (ग): राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान 2021-22 के अनुसार, कुल स्वास्थ्य व्यय (टीएचई) के प्रतिशत के रूप में जेब से किया गया व्यय (ओओपीई) 39.4% है। वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान देश में स्वास्थ्य पर ओओपीई प्रतिशत क्रमशः 48.8%, 48.2%, 47.1%, 44.4% और 39.4% है और इसलिए ओओपीई में टीएचई के प्रतिशत में गिरावट का रूझान है। भारत के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य टीएचई के प्रतिशत के रूप में उपलब्ध राज्य-वार ओओपीई का ब्यौरा अनुलग्नक के रूप में प्रस्तुत है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्यों के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में आवंटन को प्राथमिकता दी है और हर वर्ष उनके स्वास्थ्य बजट में कम से कम 10% की वृद्धि की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के बजट आवंटन 2017-18 (बजट अनुमान) को 47,353 करोड़ रु. से 85% बढ़ाकर 2024-25 (बजट अनुमान) में 87,657 करोड़ रु किया गया है। इसके अलावा, 15वें वित्त आयोग में स्थानीय सरकारों के माध्यम से स्वास्थ्य के लिए 70,051 करोड़ का अनुदान प्रदान किया गया।

केंद्र सरकार ने, लोगों को गुणवत्तापूर्ण और किफायती स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करने और ओओपीई को कम करने के लिए राज्य के प्रयासों को संपूरित करने के लिए कई पहलें की हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत, सरकार ने लोगों को सुलभ और किफायती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में राज्य सरकारों का सहायता करके

सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की दिशा में कई कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में सुधार करने, मानव स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों को चलाने के लिए पर्याप्त मानव संसाधनों की उपलब्धता, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में वंचित और हाशिए पर रहने वाले समूहों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य परिचर्या की उपलब्धता और पहुंच में सुधार के लिए सहायता प्रदान की जाती है। आवश्यक दवाओं और नैदानिक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में आने वाले मरीजों के जेब से होने वाले खर्च को कम करने के लिए राष्ट्रीय निःशुल्क औषधि सेवा पहल और निःशुल्क निदान सेवा शुरू की गई है।

इस संबंध में, सरकार ने मिशन मोड परियोजनाएं अर्थात् प्रधान मंत्री -आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम), आयुष्मान आरोग्य मंदिर (तत्कालीन एबी-एचडब्ल्यूसी) और प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) शुरू की हैं।

पीएम-एबीएचआईएम को प्राथमिक, मध्यम और विशिष्ट स्वास्थ्य परिचर्या प्रणालियों की क्षमता विकसित करने, मौजूदा राष्ट्रीय संस्थानों को मजबूत करने और नई और उभरती बीमारियों का पता लगाने और इलाज के लिए नए संस्थान स्थापित करने के मिशन के रूप में शुरू किया गया था। पीएम-एबीएचआईएम 64,180 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ केंद्रीय क्षेत्र के कुछ घटकों वाली एक केंद्र प्रायोजित योजना है।

10 दिसंबर 2024 तक ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मौजूदा उप-स्वास्थ्य केंद्रों (एसएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) के कायाकल्प द्वारा कुल 1,75,418 आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) स्थापित किए गए हैं और कार्यशील बनाए गए है। इन एएएम का उद्देश्य प्रजनन और बाल परिचर्या सेवाएं, संचारी रोगों, गैर -संचारी रोगों तथा स्वास्थ्य संबंधी सभी मुद्दों को शामिल करते हुए सार्वभौमिक, नि:शुल्क और समुदाय के करीब निवारक, प्रोत्साहक, उपचारात्मक, प्रशामक और पुनर्वास सेवाओं सहित व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करना हैं।

आयुष्मान भारत-प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत भारत की निचले तबके की 40% आबादी के 12.37 करोड़ परिवारों के लगभग 55 करोड़ लाभार्थियों को अस्पताल में मध्यम और विशिष्ट परिचर्या के लिए भर्ती होने के लिए प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रूपए का स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाता है। केंद्र सरकार ने हाल ही में पीएम जेएवाई के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों, चाहे उनकी आयु कितनी भी हो, के लिए स्वास्थ्य कवरेज को मंजूरी दी है।

इसके अलावा, राज्य सरकारों के सहयोग से प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) के तहत सभी को किफायती मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। कुछ अस्पतालों/संस्थानों में उपचार के लिए किफायती दवाएं और विश्वसनीय प्रत्यारोपण (अमृत) फार्मेसी स्टोर स्थापित किए गए हैं।

***

**दिनांक 13.12.2024 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3131 के उत्तर के भाग (क) से (ग) के में संदर्भित अनुलग्नक**

**अनुलग्नक**

**राज्य के कुल स्वास्थ्य व्यय के प्रतिशत के रूप में राज्यवार जेब से किया गया व्यय (ओओपीई)**

| क्र.सं. | राज्य | राज्य के कुल स्वास्थ्य व्यय का जेब से किया गया % व्यय | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
| 1 | असम | 34.9 | 33.2 | 27.6 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 63.6 | 58.8 | 52.0 |
| 3 | बिहार | 54.3 | 50.2 | 41.3 |
| 4 | छत्तीसगढ | 36.7 | 33.9 | 29.2 |
| 5 | गुजरात | 40.8 | 40.0 | 35.0 |
| 6 | हरियाणा | 45.5 | 42.2 | 37.5 |
| 7 | जम्मू और कश्मीर | 46.6 | 31.8 | 25.9 |
| 8 | झारखंड | 64.7 | 61.8 | 47.5 |
| 9 | कर्नाटक | 31.8 | 30.3 | 25.4 |
| 10 | केरल | 67.9 | 65.7 | 59.1 |
| 11 | मध्य प्रदेश | 53.0 | 53.0 | 43.3 |
| 12 | महाराष्ट्र | 44.1 | 42.4 | 38.1 |
| 13 | ओडिशा | 53.4 | 44.6 | 37.1 |
| 14 | पंजाब | 64.7 | 62.3 | 57.2 |
| 15 | राजस्थान | 47.4 | 42.8 | 37.1 |
| 16 | तमिलनाडु | 44.2 | 36.9 | 34.6 |
| 17 | उत्तर प्रदेश | 71.8 | 70.2 | 63.7 |
| 18 | उत्तराखंड | 35.8 | 33.4 | 26.9 |
| 19 | पश्चिम बंगाल | 67.1 | 65.1 | 58.3 |
| 20 | तेलंगाना | 41.6 | 39.8 | 37.6 |
| 21 | हिमाचल प्रदेश | 46.0 | 45.0 | 39.6 |

स्रोत: भारत के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (एनएचए) अनुमान

*****